भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2132

02 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

टी.एम.टी. बारों का उत्पादन

2132. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के आलोक में इस्पात उद्योग को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या थर्मो मेकेनिकल ट्रीटेड (टी.एम.टी.) बार के उन घरेलू निर्माताओं को वित्तीय और अन्य राहत देने का कोई प्रस्ताव है, जो विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में कीमतों में हालिया भारी उछाल को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2020 के अर्ध-शासकीय पत्र के द्वारा राज्य सरकार के सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि इस्पात संयंत्रों के प्रचालन पर प्रतिबंध न लगाया जाए (आईएसपी के साथ-साथ द्वितीयक इस्पात, दोनों)।

(ii) हितधारकों द्वारा अप्रैल-मई 2020 के दौरान हुई उनकी बैठकों में उठे मुद्दे विभिन्न मंत्रालयों जैसे कोयला मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता कार्य विभाग, रेल मंत्रालय, खान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाए गए।

(iii) इस्पात क्षेत्र द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को एसएमई जैसी अतिसंवेदनशील फर्मों के लिए कर भार को कम करना, एनपीए प्रतिमानक की रियायत, लघु व्यवसायों के लिए बिजली शुल्क जैसे

नियत शुल्कों में छूट, सतत प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु लाइसेंस/अनुमोदन/एनओसी की विधिमान्यता को 6 महीने के लिए बढ़ाना, रॉयल्टी सहित खनन देय राशि का विलंबित भुगतान, लॉकडाउन के दौरान देय वेतन पर जीएसटी क्रेडिट/छूट, एएसआईसी/ईपीएफ भुगतान रियायत आदि, जैसी सरकारी पहलों द्वारा अवगत किए गए।

(iv) राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण एवं उड़ान पहल आदि जैसी योजनाओं की उद्घोषणा, जिससे आने वाले वर्षों में अतिरिक्त माँग को बढ़ावा मिलेगा।

(v) वित्त वर्ष 2021-22 की बजट उद्घोषणा में स्क्रैप और सीआरजीओ पर सीमा शुल्क को घटा दिया गया है, जिससे आगे द्वितीयक इस्पात संयंत्रों सहित इस्पात क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।

(vi) सरकार ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 6322 करोड़ रुपये के 5 वर्षीय वित्तीय परिव्यय के साथ 'विशेष इस्पात' के समावेशन की मंजूरी दी है, जिससे इस्पात क्षेत्र में पूँजी निवेश की तरफ रुझान और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देकर देश में ही 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को प्रोत्साहन मिले।

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ मूल्य वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल के मूल्य के रुझानों, लॉजिस्टिक लागत, बिजली एवं ईंधन की लागत आदि पर निर्भर करते हैं। केन्द्रीय बजट 2021-22 में इस्पात स्क्रैप पर आयात शुल्क (पहले 2.5%) पर 31 मार्च, 2022 की अवधि तक छूट प्रदान की गई है।

****